<u>कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता</u>

<u>श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)</u>

कार्यालय दूरभाष नं.– 07662–241655 | ई–मेल– deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स नं.– 07662–251167 | वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

क्रमांक 23913 / स्था. / अराज. / एमसी / 2022 रीवा, दिनांक 11/10/22

<u>विज्ञप्ति</u>

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 2–06 / 1 / 55 / 2018, भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" अंतर्गत एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. के पत्र क्र. 1130 / स्था / अराज / 2022, भोपाल, दिनांक 15.06.2022 की कंडिका क्र. 02 के आधार पर **स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा** में पारिचारिका संवर्ग अंतर्गत **<u>नर्सिंग सिस्टर / सीनियर नर्सिंग ऑफिसर</u>** के पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ***<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. के अधीन संचालित 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत स्टॉफ नर्सो / नर्सिंग ऑफिसर से</u>*** नर्सिंग सिस्टर / सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

आवेदन की अंतिम तिथि– 10.11.2022 सायं 05:00 बजे तक।
<u>आवेदन पत्र भेजने का पता:–</u> कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), पिन 486001

<u>नर्सिंग सिस्टर / सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदोन्नति / सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण:–</u>

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	स्वीकृत रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार वर्गीकरण		
			अना.	अजजा	अजा
1	नर्सिंग सिस्टर / सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	29	19	06	04

<u>अर्हताऐं एवं वेतनमान</u>

क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं एवं अनुभव	वेतनमान
1	नर्सिंग सिस्टर / सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	18 वर्ष	स्टॉफ नर्स / नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव ***एवं*** मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।	36200–114800 (लेवल–9)

क्रमशः पेज...02

(क) आवेदन शुल्कः–

1. अनारक्षित श्रेणी हेतु 800/– (आठ सौ मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 700/– (सात सौ मात्र)
2. आवेदन शुल्क का डिमांड ड्रॉफ्ट CEO &DEAN SS MEDICAL COLLEGE REWA रीवा के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. डिमांड ड्राफ्ट के पीछे उम्मीदवार का नाम तथा मोबाईल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन कार्यालय अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में दिनांक 10.11.2022 सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकेंगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर किसी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन के साथ जमा शुल्क वापस योग्य नहीं होगा।

(ख) अन्य जानकारी :–

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. के अधीन संचालित 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत स्टॉफ नर्सो/नर्सिंग ऑफिसर, जो कि न्यूनतम 05 वर्षो से स्टाफ परिचारिका के पद पर कार्यरत हो तथा आवेदित पद की पूर्ण अर्हता रखता है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यानुभव निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जावेगा।
2. आवेदकों को संबंधित मूल नियोक्ता से आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन आदेशों के अनुसार होगा।
4. उक्त पदों पर राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय पदोन्नति आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है।
5. आरक्षण का लाभ केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा जिनका जाति प्रमाण पत्र म.प्र. राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
6. पदों की संख्या नियमानुसार बढ़ाई/घटाई जा सकेगी।
7. आवेदक को संबंधित पद हेतु निर्धारित समस्त अर्हता आवेदन के समय ही पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी के साथ–साथ आवेदन का प्रारूप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की बेबसाईट www.ssmcrewa.com में उपलब्ध रहेगी।

नियम एवं शर्तेः–

(क) निर्हताऐंः–

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुश्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यबोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
4. नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा–किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

क्रमशः पेज...03

5. **विवाह संबंधी–** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष जिसने ऐसे किसी महिला/पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे।
6. दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा, परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
7. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल करके प्रस्तुत करने पर।
8. **कदाचरण संबंधी–** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के लिये नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के मामले में दोषी सिद्ध हुआ हो।
9. **स्वास्थ्य संबंधी–**चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करे।

(ख) अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा किसी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को यथोचित कारण से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ग) चयन प्रकिया संबंधित किसी भी विवाद में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(घ) चयन प्रकिया:–

1. कॉमन एवं श्रेणीवार मेरिट के क्रम में चयन अधिकतम 100 अंक के आधार पर किया जायेगा, जिसका प्रोरेटा निम्नानुसार है :–
   1.1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, अधिकतम 80 अंक। ***(पाठ्यक्रम संलग्न)***
   1.2. साक्षात्कार में प्राप्तांक, अधिकतम 20 अंक।
2. उपरोक्त चयन प्रक्रिया में एक समान अंक प्राप्त करने आवेदकों में अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

11/10/22

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमशः पेज...04

पृ.क्रमांक....................../स्था/अराज/एमसी/2022 रीवा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
5. महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती.. पिता/पति श्री..., चिकित्सा महाविद्यालय,.................... ....में स्टाफ नर्स/नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत् हैं/थीं, उनका कार्यानुभव निम्नानुसार हैः–

अवधि		**यदि कार्यरत् अवधि में अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो जानकारी (यदि लागू हो तो)**
कब से	कब तक	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यरत् अवधि में संबंधित का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक/अच्छा/उत्तम रहा है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार की न्यायालयीन, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं लोकायुक्त की जांच प्रचलन में नहीं है। जांच प्रचलन में होने की स्थिति में विवरण दें।

....

....

पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता